-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 70 / 2011

उनवान

छगनी पुत्री खंगारा जाति- गुर्जर नि0 साम्प्रोदा नसीराबाद
वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मुन्ना पुत्री गोरधन
2. सुरता पत्नी महावीर,
3. सुनीता
4. अनिता पुत्रीयां महावीर, दोनो ना.बा.जरियें संरक्षक माता सुरता
5. रामदेव पुत्र नन्दा जाति- गुर्जर नि0 साम्प्रोदा नसीराबाद
6. उप पंजीयक नसीराबाद
7. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

--- प्रतिवादीगण :- जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955

-: निर्णय :- दिनांक :- 28.12.22

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवदेन किया कि ग्राम साम्प्रोदा के खसरा नम्बर 2399, 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 2408, 2396, 2397, 2436, 2464, 2466 रकबा क्रमशः 0.18, 0.25, 0.04, 0.36, 0.69, 0.30, 0.43, 0.87, 1.09, 0.31, 3.94, 0.62, 0.16 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की है। जिस पर उभयपक्ष का हक व हिस्सा निहित है। उक्तज आराजी वादी की माता -पिता की मृत्यु के वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि वादी का भी उक्त आराजी पर हक व अधिकार निहित हाने से उसका उक्त आराजी पर बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी में से अपना हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 15.03.11 को प्रतिवादी संख्या 5 को बैचान कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जाव। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद में संशोधन कर आराजी मुतनाजा के साबिक खसरा नम्बर का अंकन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2399 / 0.18, 2166 / 0.25, 2194 / 0.04, 2195 / 0.36, 2228 / 0.69, 2232 / 0.30, 2398 / 0.43, 2408 / 0.87, 2396 / 1.09, 2397 / 0.31, 2436 / 3.94, 2464 / 0.6[illegible] 2466 / 0.16 की आराजी का कथन पूर्णतया गलत है। उक्त आराजी के वंकिग खसरा नम्बर 141 के हाल खसरा नम्बर [illegible]र, किशना, श्रवण पि0 मूला गुजर के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज [illegible] 57 के हाल खसरा नम्बर 2195 गोरधन की खातेदारी दर्ज है। साबिक ख[illegible] 2228 व 2232 गोरधन की खातेदारी भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 1957 के हाल खसरा नम्बर 2137 के हाल खसरा [illegible] 2399, 2398, 2408 गोरधन की खातेदारी भूमि है। साबिक खसरा न[illegible] 1959 के हाल खसरा न[illegible] भी गोरधन की भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 2137 के हाल खसरा नम्बर 2399, 2408, 2398 गैर खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से खातेदारी में गोरधन के नाम नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 30.07.2002 को किया गया। उक्त आराजी गोरधन की खातेदारी की है जिस पर वादी का कोई क ही है तथा गोरधन की मृत्यु के बाद उसकी वारिस मुन्ना पुत्री गोरधन द्वारा अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 रामदेव पुत्र नन्दा को जरियें विक्रय पत्र बैचान कर दिया। साबिक खसरा नम्बर 2138 मिन व 2162 मिन केहाल खसरा नम्बर 2396, 2397 व 2436 की भूमि नन्दा पुत्र हजारी व गोरधन पुत्र खंगारा की निजी खातेदारी भूमि है। नन्दा पुत्र हजारी को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। साबिक खसरा नम्बर 2138 भूमि सरकारी है जो गैर खातेदारी से खातेदारी गोरधन के नाम नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 30.07.2002 को अंकित की गयी। साबिक खसरा नम्बर 2162 के हाल खसरा नम्बर 2436 वंर्किग जमाबंदी में सरकारी भूमि है जो गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी है। साबिक खसरा नम्बर 2253 के हाल खसरा नम्बर 2464 व 2253 वंर्किग जमाबंदी में सरकारी भूमि थी जो गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी। साविक खसरा नम्बर 2254 के हाल खसरा नम्बर 2466 बने है जो सरकारी भूमि थी जिसे गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। साबिक खसरा न0 2162 के हाल खसरा नम्बर 2436 नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 30.07.02 के अनुसार नन्दा पुत्र हजारी व गोरधन के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 2162 के हाल खसरा नम्बर 148 दिनांक 15.01.96 से रामदेव पुत्र गंभीरा के नाम गैर खातेदारी व नामान्तकरण स्ंख्या 350 दिनांक 10.12.04 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। साबिक खसरा नम्बर 2253 व 2254 की भूमि भी सरकारी थी जो गैर खातेदारी से खातेदारी हुयी है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में गोरधन खातेदारी दर्ज थी। उसकी मृत्यु के बाद वारिसान पुत्र महावीर व पुत्री मन्ना के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मन्ना ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 को बैचान कर दिया है। व कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है। वादी की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी नही है। आराजी मुतनाजा को हडपने के लिये उक्त वाद पेश किया गया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादिया की पुश्तैनी होने से वादिया खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति की अधिकारणी है ?

—— वादिया

2. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ने विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा क्रय किया है अतः वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी संख्या 1

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी छगनी, गवाह सोदान, लक्ष्मण के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी रामदेव गवाह राम सिंह के बयान दर्ज करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी संख्या 1 का कथन है कि आराजी मु[illegible] पु[illegible] होने से उक्त आराजी पर उसका भी हक व अधिकार है। किन्तु उसके [illegible] उनमे वंर्किग खसरा नम्बर 2162, 2137 सिवायचक से प्र[illegible] गोरधन के पिता गोरधन पुत्र खंगारा के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है। इसी प्रकार वंर्किग खसरा न[illegible] 150, 151, 1957, 1959, 2137, 2168, 1957 भि वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोरधन पुत्र खंगारा के नाम खातेदारी दर्ज

---3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वर्किंग खसरा नम्बर 2138, 2162, 2253, 2254, 2162 भी नन्दा पुत्र हजारी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोरधन पुत्र खगारा के नाम दर्ज है। गोरधन पुत्र खगारा की मृत्यु होने से हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 2399, 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 24082396, 2397, 24362464, 2466 की आराजी जरियें विरासत प्रतिवादी संख्या 1 मन्ना पुत्री गोरधन व महावीर पुत्र गोरधन के नाम विधिक रूप से दर्ज की गयी। महावीर पुत्र गारधन की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.03.11 को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है। वादी का कथन है कि जो आराजी गोरधन पुत्र खगारा के नाम आंवटन/नियमन से दर्ज हुयी वह उसकी स्वअर्जित सम्पति नही मानी जावेगी। किन्तु उक्त आराजी वर्ष 2002 में आंवटन/नियमन हुयी है। तथा वादी ने अपने बयान की जिरह में स्वीकार किया है कि " उसकी शादी को 50 वर्ष से ज्यादा हो गये है। तथा वर 50 वर्ष से ससुराल में रह रही है। वादी का यह भी कथन है कि उसके पिता की मृत्यु 100–50, 200 वर्ष पहले हो गयी हो तो उसको पता नही मेरे पिताजी के मरने के 100 वर्षो बाद यह वाद किया है।" उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी का विवाह काफी वर्ष पूर्व हो गया था। वह अपने ससुराल ही निवास करती है। उक्त आराजी गोरधन को आवंटन/नियमन होने के समय वह इस परिवार की सदस्य नही थी। ना ही गारधन के आंवटन/नियमन का सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती दी गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गय विक्रय के विरूद्ध भी वादी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा के समस्त खसरा नम्बर की ऐसी चौसाला जमाबंदी पेश नही की है जिसमें आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी सिद्व होती हो तथा उसके दादा मांगू के नाम दर्ज हो। वादी ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में गारधन को खंगारा का दत्तक पुत्र बताया है जबकि अपनी जिरह में इस तथ्य से इंकार कर रही है जो विश्वसनीय नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से उसके कथनों की ताईद नही होती है। जबकि प्रतिवादी संख्या 5 सदभाविक क्रेता है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है। अतः तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख वंर्किंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा गोरधन पुत्र खंगारा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी जरियें विरासत प्रतिवादी संख्या 1 मन्ना पुत्री गारधन व महावीर पुत्र गारधन के नाम विधिक रूप से दर्ज की गयी। महावीर पुत्र गोरधन की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.03.11 को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नही दी है। तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व नही होती है। अतः तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 5 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम साम्रादा के खसरा नम्बर 2399, 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 2408 2396, 2397, 2436, 2464, 2466 रकबा **क्रमशः** 0.18, 0.25, 0.04, 0.36, 0.09, 0.30, 0.43, 0.87, 1.09 0 31, 3.94, 0.62, 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वय वहन कर। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छगनी बनाम मुन्ना

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 70 / 2011
पेश करने की दिनाक — 20.04.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आर्मरिया (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुददई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम साम्प्रोदा के खसरा नम्बर 2399, 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 2408 2396, 2397, 2436, 2464, 2466 रकबा क्रमशः 0.18, 0.25, 0.04, 0.36, 0.69, 0.30, 0.43, 0.87, 1.09, 0.31 3.94, 0.62, 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व माहर अदालत के आज दिनाक 28 माह 12 सन 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद